कार्यालय इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी
जिला शाखा बस्तर (छ०ग०)
Email : bastarredcross@gmail.com

नीलामी सूचना

क्रमांक / इं.रे.सो. / 2021-22/1012 जगदलपुर, दिनांक 04/01/2022

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि इस कार्यालय के निम्न 04 निष्प्रयोजित वाहनों "जहाँ है जैसा है" का विक्रय नीलामी के माध्यम से किया जाना है। वाहन का विवरण एवं नीलामी की शर्तें निम्नानुसार है :–

क्र.	वाहन का पंजीयन क्रमांक	ईंजन नम्बर	वाहन का प्रकार	मॉडल / रजि0 वर्ष	निर्धारित अपसेट मूल्य	वाहन जहां खड़ी है
1.	CG 02 3663	SLCHN79362	Swaraj Mazda	2005	30000=00	जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर
2.	CG 17 GA 0001	F8BIN3944452	Maruti Omni	2008	10000=00	जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर
3.	CG 02 6585	F8BIN4167279	Maruti Omni	2009	15000=00	जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर
4.	Escort Crane MAC-1214	4H-2471/0600016	Crane	2006	500000=00	नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के आगे सड़क किनारे

इच्छुक निविदाकार अपनी निविदा बंद लिफाफे में दिनांक 20/1/2022 को अपरान्ह 3:00 बजे तक कार्यालय इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी जगदलपुर (पता–कलेक्टोरेट संयुक्त कार्यालय के भूतल कक्ष क्रमांक–G12) में प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदा उसी दिवस अर्थात् दिनांक 20/1/2022 को अपरान्ह 4:00 बजे कार्यालय अपर कलेक्टर, जिला बस्तर में खोली जावेगी।

विस्तृत जानकारी www.bastar.gov.in या कलेक्टोरेट संयुक्त कार्यालय के भूतल कक्ष क्रमांक–G12 (कार्यालय इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, जिला शाखा बस्तर) में प्राप्त की जा सकती है।

सचिव
इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी
जिला शाखा बस्तर, जगदलपुर

पृ0क्रमांक / इं.रे.सो. / 2021-22/1013 जगदलपुर, दिनांक 04/01/2022

प्रतिलिपिः–

1. सचिव महोदय, इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, छ0ग0 राज्य शाखा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर एवं अध्यक्ष महोदय, इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, जिला शाखा बस्तर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. वाहन नीलामी समिति, इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, जिला शाखा बस्तर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. प्रभारी, इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, जिला शाखा बस्तर की ओर सूचनार्थ।
5. उप संचालक, जनसंपर्क, बस्तर जिला जगदलपुर की ओर जिले एवं राज्य के प्रचलित दैनिक हिन्दी समाचार में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अधिकारी, जिला कार्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं उक्त निविदा विज्ञप्ति सहित नीलामी की शर्तें की सॉफ्ट कॉपी जिले के अधिकारिक वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. सूचना पटल हेतु।

सचिव
इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी
जिला शाखा बस्तर, जगदलपुर

नीलामी की शर्तें:–

1. वाहन जहां तथा जिस स्थिति में है, का अवलोकन शासकीय कार्य दिवस में वहां जाकर किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र कलेक्टोरेट संयुक्त कार्यालय के भूतल कक्ष क्रमांक–G12 (कार्यालय इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी जगदलपुर) से कार्यालयीन दिवस व समय में राशि रू. 500.00 (पाँच सौ रूपये मात्र) जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
2. प्रत्येक वाहन के लिए पृथक–पृथक निविदा प्रस्तुत करनी होगी। एक लिफाफे में एक से अधिक वाहनों के लिए निविदा प्रस्तुत करने पर निविदा फार्म निरस्त कर दिया जावेगा तथा उक्त संबंध में कोई आपत्ति या अपील मान्य नहीं की जावेगी।
3. निविदाकार को निविदा के साथ प्रत्येक वाहन के लिए अमानत राशि रू0 5000/– (पांच हजार रूपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/डिमाण्ड ड्राफ्ट सचिव, इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, जिला बस्तर के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा विचारणीय नहीं होगी। अमानत राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
4. निर्धारित प्रपत्र–अ अनुसार क्रमांक 01 से 10 तक चाही गई जानकारी निविदाकार का आधार/पहचान पत्र की सत्यापित प्रति तथा बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति सहित लिफाफे के ऊपर प्रपत्र–अ (तकनीकी बिड) अंकित करते हुए तथा दूसरे लिफाफे के ऊपर प्रपत्र–ब (वित्तीय बिड) अंकित करते हुए प्रपत्र–ब के अनुसार वाहन क्रमांक व निविदा की राशि अंकों व शब्दों में भरा जावेगा। प्रपत्र–अ एवं ब में निविदाकार के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। उपरोक्तानुसार प्रपत्र–अ व प्रपत्र–ब के लिफाफों को सील कर एक बड़े लिफाफा के अन्दर सीलबंद कर उक्त लिफाफे में निविदाकार का नाम तथा वाहन क्रमांक अंकित कर सचिव, इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, जिला बस्तर के नाम से प्रस्तुत करना होगा।
5. इच्छुक निविदाकार अपनी निविदा बंद लिफाफे में दिनांक 20/1/2022 को अपरान्ह 3:00 बजे तक कलेक्टोरेट संयुक्त कार्यालय के भूतल कक्ष क्रमांक–G12 (कार्यालय इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी जगदलपुर) में प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदा उसी दिन अर्थात् दिनांक 20/1/2022 को अपरान्ह 4:00 बजे कार्यालय अपर कलेक्टर, जिला बस्तर में खोली जावेगी।
6. प्रत्येक वाहन हेतु सर्वप्रथम बाहरी लिफाफे में से प्रपत्र–अ (तकनीकी बिड) के लिफाफे को खोला जावेगा तथा उसकी जांच की जावेगी। उक्त वाहन हेतु सभी निविदाकारों के प्रपत्र–अ (तकनीकी बिड) की जांच होने के पश्चात् पात्र निविदाकारों के प्रपत्र–ब (वित्तीय बिड) के लिफाफे को खोला जावेगा।
7. निविदा फार्म में निविदा मूल्य सुस्पष्ट रूप से अंकों एवं शब्दों में लिखा जाना अनिवार्य होगा। कांट–छांट युक्त निविदा फार्म निरस्त कर दिया जावेगा तथा उक्त संबंध में कोई आपत्ति या कोई अपील मान्य नहीं की जावेगी।
8. प्रत्येक वाहन हेतु स्वीकृत निविदा राशि तथा वाहन के अपसेट प्राईज के अंतर की राशि पर 18 प्रतिशत जीएसटी शुल्क पृथक् से बैंक ड्राफ्ट द्वारा सचिव, इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, जिला बस्तर के नाम से देय होगा।
9. जिस निविदाकार की निविदा स्वीकार की जावेगी उसे निविदा स्वीकृति दिनांक से 07 दिवस के भीतर संबंधित वाहन के निविदा मूल्य की संपूर्ण राशि व पृथक् से जीएसटी शुल्क की राशि सचिव, इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, जिला बस्तर के नाम से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा। इसके पश्चात् ही वाहन सुपुर्द किया जावेगा।
10. निविदा स्वीकार होने की तिथि के 10 दिवस के भीतर निविदाकर्ता को वाहन उठाना अनिवार्य होगा। अन्यथा पूर्व में जमा की गई अमानत राशि वापसी योग्य नहीं होगी। साथ ही साथ स्वीकृत निविदा को निरस्त कर नये सिरे से पुनः निविदा आमंत्रित की जावेगी। अर्थात् निविदाकर्ता को किसी भी परिस्थिति में अमानत राशि एवं वाहन सुपुर्द नहीं किया जावेगा।

निरन्तर...02

11. निविदा में दी गई शर्तों का पालन करने के लिए सभी निविदाकार बाध्य होंगे तथा निविदा स्वीकार करने या न करने का अंतिम निर्णय कलेक्टर एवं अध्यक्ष, इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, जिला बस्तर का रहेगा।
12. वाहन पर वर्तमान में शासकीय पंजीयन क्रमांक अंकित हैं। निविदा उपरान्त आर.टी.ओ. से नया पंजीयन क्रमांक प्राप्त करने के उपरान्त ही वाहन उपयोग में लाया जाना मान्य रहेगा। नया पंजीयन प्राप्त करने हेतु समस्त खर्च का वहन चयनित निविदाकार को ही करना होगा। नीलामी पश्चात् शासकीय पंजीयन नम्बर सहित वाहन उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
13. वाहन की उचित कीमत प्राप्त नहीं होने पर उक्त बोली निरस्त कर दी जावेगी तथा पुनः निविदा बुलाई जावेगी।
14. निविदा में दी गई शर्तों का उल्लंघन पाया जाने पर जमा की गई अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।
15. स्वीकृत निविदा की अमानत राशि को छोड़कर शेष निविदाकारों की अमानत राशि नीलामी की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद उसी दिन वापस कर दी जावेगी। जिसे प्राप्त करने की पूरी जिम्मेदारी निविदाकार के स्वयं की होगी।
16. किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय कलेक्टर महोदय, जिला बस्तर का होगा। जो सर्वमान्य होगा। न्यायिक क्षेत्र भी कलेक्टर बस्तर के अधिकार क्षेत्र में ही होगा।
17. आपित्तकर्ता निविदाकार अंतिम निर्णय से यदि संतुष्ट नहीं है और वह यदि न्यायालय जाना चाहता है तो 07 दिवस के भीतर न्यायिक प्रकरण प्रस्तुत करेगा। उसके उपरान्त इस पर किसी प्रकार विचारणीय नहीं होगा। साथ ही साथ स्वीकृत निविदा मूल्य प्रभावित होने पर अपसेट मूल्य की 5 गुनी (पाँच गुनी) राशि आपत्तिकर्ता निविदाकार को देनी होगी।

सचिव
इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी,
जिला शाखा बस्तर, जगदलपुर